ISSN: 2249-894X IMPACT FACTOR : 3.8014 (UIF)

REVIEW OF RESEARCH
UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514
VOLUME - 6 | ISSUE - 9 | JUNE - 2017

पुलिस
प्राचीन भारत, मध्य काल भारत, आधुनिक भारत

Dr. Surendra Ramlal Tiwari
Professor, Jyotiba College of Physical Education CRPF.
Hingna Road , Nagpur.

सारांशः

प्रत्येक देश में किसी भी शासकीय व्यवस्था के अधीन व प्रत्येक काल में, पुलिस व्यवस्था की जिम्मेदारी उसके शासक की ही होती है। व्यक्ति की शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य ने एक प्रशासनिक व्यवस्था तैयार की, जिसका एक महत्वपूर्ण घटक 'पुलिस' है। ऑक्सफोर्ड शब्द कोश में पुलिस को इस प्रकार परिभाषित किया गया है – "पुलिस एक ऐसा संगठन है, जो लोगों से कानून का आदेश मनवाने तथा अपराध को रोकने व सुलझाने का काम करता है।"

पुलिस राज्य का एक अभिन्न अंग है। इसलिए, पुलिस का वर्तमान रूप कैसे बना, यह चर्चा करने से पहले राज्य की उत्पत्ति पर चर्चा करना उचित रहेगा।

मूळ शब्द : शासकीय व्यवस्था, अपराध, शांति और सुरक्षा

प्रस्तावनाः

❖ प्राचीन भारतः

व्यवस्था स्थापित करने एवं कानून लागू करने वाली संस्था के रूप में भारत में पुलिस का उद्‌गम भारतीय इतिहास के पूर्व वैदिक काल में ढूंढा जा सकता है। ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में वैदिक भारत में होने वाले कुछ अपराध और उनके दण्ड के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है। प्राचीन भारत में राजाओं का अपना गुप्त सूचना तंत्र था और वे अपराधों के स्वरूप एवं घटनाओं के बारे में और अपराधियों को समुचित एवं अनुपातिक दण्ड के बारे में अपने आप को सूचित रखते थे।

मौर्य एवं गुप्त काल में पुलिस संगठनों एवं पुलिस गतिविधियों के बारे में विस्तार से वर्णन उपलब्ध है। ऐसा प्रतीत होता है कि संस्कृत, पाली एवं प्राकृत भाषाओं के प्राचीन लेखकों और कवियों को तत्कालीन समय में प्रचलित व्यवस्था एवं न्याय प्रशासन के बारे में विशेष ज्ञान था। अपराधों के नियंत्रण एवं खोज के कार्यों के लिए कोई स्वतंत्र पुलिस विभाग नहीं था, परन्तु समाज में कानून–व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आपसी समन्वय से काम करने वाली कई संस्थाएँ कार्यरत थी।

कौटिल्य ने अपनी पुस्तक 'अर्थशास्त्र' में अन्वेषण, अपराधों के तरीके, दण्ड इत्यादि के बारे में क्रमबद्ध जानकारी देते हुए पुलिस के पूर्ण विकास को अभिलिखित किया है। अर्थशास्त्र में बताया गया है कि प्राचीन भारत में पुलिस दो भागों में विभक्त थी जिनके नाम नियमित पुलिस तथा गुप्त पुलिस थे। नियमित पुलिस तीन

श्रेणियों में बंटी हुई थी :– (1) सर्वोच्च स्थान पर प्रदेस्टा (ग्रामीण) या नगरका (शहरी), (2) मध्य स्थान में ग्रामीण और शहरी स्थानीकास तथा (3) निम्न स्तर पर ग्रामीण और शहरी गोपास।

अपराध की रोकथाम एवं खोज के लिए प्राचीनकाल में प्रचलित गुप्त आसूचना एकत्रित करने की कला के बारे में मनुस्मृति में वर्णन किया गया है। मनुस्मृति में राजा के लिए अपराधी को पुलिस तथा गुप्तचरों की मदद से ढूंढने संबंधी निर्देश निर्धारित किए गए हैं तथा कात्यायन स्मृति में गुप्तचर एवं अन्वेषण अधिकारी का वर्णन यह दर्शाता है कि तत्कालीन समय में राजा को न्याय प्रशासन में सहायता करने के लिए आधुनिक पुलिस जैसी एक संस्था उपलब्ध थी। आज के पुलिस थानों की शुरूआत प्राचीन स्थानकों से हुई। मनु के मतानुसार दो, तीन, पाँच या कई गाँवों के समूह के लिए पुलिस थाना या पुलिस चौकी की स्थापना करनी चाहिए। अपराधों की घटनाओं की खोज के लिए राजा द्वारा नियुक्त व्यक्ति को 'सूचक' (अन्वेषण अधिकारी) कहा जाता था।

अपराधों की रोकथाम, अपराधों की खोज एवं अपराधियों को दण्ड देने के बारे में राजा की विशिष्ट जिम्मेदारी पर मनुस्मृति में विशेष बल दिया गया है। इसके अनुसार अपराध करने वाले व्यक्ति या अपराध के लिए षड़यंत्र करने वाले व्यक्ति सामान्यतः सभा भवनों, होटलों, वेश्यालयों, जुआघरों इत्यादि में पाए जाते है, इसलिए चोरों एवं असामाजिक तत्वों को दूर रखने के लिए ऐसे स्थानों पर राजा को अपने सिपाहियों एवं जासूसों को गश्त के लिए लगाना चाहिए। यह राजा को सुधरे हुए चोरों, जो पहले ऐसे संदेहास्पद तत्वों के साथ सम्मिलित थे, को नियुक्त करके उनके माध्यम से अपराधियों की खोज करने एवं उन्हें दण्डित करने की अनुमति देती है। गुप्तकाल में पुलिस अधिकारियों को 'चौरोध्रानिक' के नाम से जाना जाता था, क्योंकि चोरों को पकड़ना ही उनका मुख्य व्यवसाय था। 'पाल वंश' के समय में भी उनकी उपस्थिति पाई जाती है।

प्राचीन भारत में विकसित पुलिस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत निम्नानुसार हैं :

- किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध की सूचना या शिकायत कोई भी नागरिक कर सकता था, तथा यह जरूरी नहीं था कि पीड़ित व्यक्ति या उसके रिश्तेदार ही ऐसा करें। जो व्यक्ति अपने स्तर पर अपराध की खोज कर राजा को सूचित करता था उसे 'स्तोभाक' (सूचनाधारी) कहा जाता था। वह प्राथमिक सूचना देने के लिए राजा से पारिश्रमिक पाने का हकदार था।
- झूठी गवाही यानी झूठे साक्ष्य प्रस्तुत करने को गंभीर अपराध माना जाता था तथा इसके लिए दण्ड का प्रावधान था। लालचवश झूठा गवाह बनाने वाले व्यक्ति का संपूर्ण धन राजा द्वारा जब्त कर लिया जाता था और इसके अतिरिक्त उसे देश से निकाला भी दे दिया जाता था।
- समाज के प्रति कर्तव्य में लापरवाही को बहुत गंभीरता से लिया जाता था। अपनी क्षमतानुसार जो व्यक्ति अपराध की रोकथाम में सहायता करने से चूक जाता था, उसे अपने सारे घरेलू सामान एवं चल संपत्ति के साथ देश से निर्वासित कर दिया जाता था। किसी के द्वारा सहायता मांगे जाने पर वहाँ उपस्थित व्यक्ति जो सहायता नहीं करता था या सहायता माँगने पर वहाँ से भाग जाता था, ऐसे व्यक्ति के लिए दोहरे दण्ड का प्रावधान था।
- प्राचीन भारत में आत्मरक्षा का अधिकार विद्यमान था। व्यक्ति अपनी रक्षा के लिए बेहिचक उस हत्यारे का वध कर सकता था, जो हत्या करने के इरादे से उसकी तरफ बढ़ता था। ऐसे कातिल का वध करना, हत्या का अपराध नहीं माना जाता था। न केवल आत्मरक्षा के लिए बल्कि महिलाओं एवं कमजोर व्यक्तियों, जो कातिलाना या हिंसात्मक हमले से अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं थे, उनकी भी सुरक्षा करने के लिए दूसरे का विरोध करना एवं उसका वध करने तक का अधिकार भी व्यक्ति को था।
- पुलिस अधिकारी, जेल अधीक्षक तथा अन्य लोग सेवकों द्वारा किये गए दुराचरण और अपराधों को बहुत ही गंभीरता से लिया जाता था तथा उनके लिए कठोर दण्ड़ों का प्रावधान था।

❖ मध्य काल भारत (भारत का मध्य काल) :

यद्यपि मध्य काल में कुछ हिन्दू राज्य विद्यमान थे, तथापि देश के अधिकांश हिस्से में मुस्लिम शासकों का प्रभुत्व था। राजा, जिसे सुलतान या बादशाह के नाम से जाना जाता था, की सहायता उसका मंत्री करता

था। मध्य काल के शासकों ने आपराधिक न्याय प्रशासन के महत्व पर जोर दिया तथा न्यायिक प्रणाली को विकसित करने के लिए सुधारों को लागू किया।

दिल्ली के सुलतानों ने प्राचीन भारत की कुछ पुलिस परम्पराओं और कार्यों को पुनर्जीवित किया एवं उन्हें पुनः स्थापित किया। कोतवाल पुलिस विभाग का प्रमुख अधिकारी था। कोतवाल और उसके अधीनस्थ कर्मचारियों के सामान्य कर्तव्यों में मार्गों पर रात्रि गश्त करना, महत्वपूर्ण जगहों की चौकसी करना, आगंतुको एवं प्रस्थान करने वालो के अभिलेख रखना तथा अन्य नियमित कार्यों का समावेश था। 'अमीर–ए–दाद', 'मुन्तासीब' की सहायता से अपने अधीनस्थ कोतवालों के पुलिस कार्यों की देखरेख करने तथा समन्वय रखने का कार्य करता था। बलबन ने अपराधियों के बारे में सत्यता का पता लगाने हेतु गुप्तचर पद्धति प्रारम्भ की। सिकन्दर लोधी ने आपराधिक न्याय व्यवस्था में कई सुधार आरम्भ किए।

सन् 1526 में बाबर के आगमन के साथ भारतवर्ष में व्यवस्था के प्रशासन ने अपना रूप लेना प्रारम्भ कर दिया। मुगल शासक, खासतौर पर बाद के मुगल, अपने साम्राज्य की आन्तरिक सुरक्षा की समस्या से चिंतित थे। अकबर के कार्यकाल में प्रादेशिक सरकार के प्रमुख, जिसे सूबेदार या नाज़ीम कहा जाता था, के अधीन पुलिस कार्य को कार्यान्वित करने के लिए कई फौजदार होते थे। फौजदार के मुख्य कर्तव्य थे :– (क) महामार्गों की सुरक्षा तथा लूटपाट करने वाले दलों को गिरफ़्तार करना; (ख) सभी उपद्रवों तथा छोटे विद्रोही का दमन करना; (ग) कर नहीं देने वाले गाँवों से वसूली करना; तथा (घ) शक्ति प्रदर्शन करके विरोधियों को डराकर रखना। फौजदार के अधीन थानेदार हुआ करते थे। 'फौजदार' और 'थानेदार' के पदनाम आज भी भारत में प्रचलित हैं।

अकबर के मंत्री अबुल फजल द्वारा लिखित आइन–ए–अकबरी में पुलिस संगठन और उसके कार्य की झलक मिलती है। कोतवाल शहर का पुलिस प्रधान होता था। कोतवाल के अधीन भारी संख्या में कर्मचारी हुआ करते थे। कोतवाल को राज्य कोष से वेतन दिया जाता था, जिसमें से वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का निर्वाह करता था। कोतवाल एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था जिसे सभी शाही दरबारों में उपस्थित रहना होता था। वह शहर पुलिस प्रमुख, न्याय दण्डाधिकारी एवं नगर पालिका अधिकारी के रूप में कार्य करता था। उसके मुख्य पुलिस कार्य, गलियों एवं मोहल्लों की देखरेख की व्यवस्था करना, जन समुदाय के एकत्रित होने वाले स्थानों पर पुलिस कर्मचारियों की नियुक्ति करना, जेबकतरों एवं शरारती तत्वों पर नजर रखना, शराब के उत्पादन एवं बिक्री पर नियंत्रण रखना, कारागारों की देखभाल करना एवं शाही दण्डादेशों को लागू करना इत्यादि थे।

शेरशाह सूरी का मानना था कि शासन की स्थिरता न्याय पर निर्भर करती है, इसलिए उसका सर्वोच्च लक्ष्य इस ओर रहेगा कि न तो कमजोर को दबाया जाए और न ही शक्तिशाली को निडरता से कानूनों का उल्लंधन करने दिया जाए। ग्राम परिषदों के प्रमुखों को मान्यता प्रदान की गई थी और उन्हें चोरी और लूटपाट की रोकथाम करने के लिए आदेश दिए गए थे। लूटपाट के मामलों में पीड़ित द्वारा उठाए नुकसान की उन्हें प्रतिपूर्ति करनी पड़ती थी। सिकहदारों को, जिन्हें अभी तक कोतवालों के समान अधिकार प्राप्त थे, परगना के अंतर्गत न्यायिक अधिकार दिए गए। प्रथमतः भारत में पुलिस रेगुलेशन तैयार किए गए थे।

मुस्लिम शासन के दौरान में शहरों और कस्बों मे पुलिस व्यवस्था की जिम्मेदारी कोतवाल पर तथा ग्रामीण भागों में फौजदार पर थी। न्यायपालिका तथा पुलिस को मुख्य सदर और मुख्य काजी के अधीन रखा गया था तथा प्रायः ये दोनों पद एक ही व्यक्ति संभालता था। मुगलों ने शहरों में कोतवाली व्यवस्था तथा गाँव में चौकीदारी व्यवस्था लागू की थी। फौजदार के न्यायालय में सुरक्षा और संदेहास्पद अपराधियों से संबंधित छोटे आपराधिक प्रकरणों की सुनवाई होती थी। कोतवालों को लघु आपराधिक मामले निपटाने के अधिकार थे। हिन्दु कानून–व्यवस्था के विपरीत, मुस्लिम दण्ड विधान के अधीन सभी अपराध राज्य के विरूद्ध नहीं माने जाते थे। अपराधों को तीन श्रेणियो में बाँटा गया था, जैसे कि :– (1) ईश्वर के विरूद्ध अपराध, (2) राज्य के विरूद्ध अपराध, और (3) निजी व्यक्तियों के विरूद्ध अपराध। सन् 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को अंग्रेजों द्वारा दबा देने के साथ ही कोतवाली व्यवस्था का अंत हो गया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के विस्फोटन के कुछ समय पूर्व ही, दिल्ली के अंतिम कोतवाल के रूप में श्री गंगाधर नेहरू (भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के दादा) को नियुक्त किया गया था।

हिन्दू राज्यों में विजयनगर साम्राज्य (सन् 1336 ई. से 1646ई) सबसे अधिक प्रसिद्ध था। कृष्णदेवराय इस वंश के सबसे महान शासक थे। विजयनगर और वहाँ की आपराधिक न्याय व्यवस्था दर्शाती है कि वहाँ एक पूर्ण विकसित न्यायिक व्यवस्था कार्यरत थी।

मराठा राज्य में शिवाजी के राजस्व अधिकारी, जैसे की सर–सूबेदार, सूबेदार, हवलदार, कामासीसदर, मुकद्दम या पाटिल (ग्राम अधिकारी) अपने–अपने क्षेत्रों में कानून–व्यवस्था लागू करने के लिए भी जिम्मेदार थे। हवलदारों पर किलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी थी। पेशवा शासनकाल में, सूबा और प्रांत में विस्तृत पुलिस संगठन प्रचलित था। सर सूबेदारों और सूबेदारी पर अपने क्षेत्रों में कानून–व्यवस्था लागू करने के साथ–साथ महामार्गों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी थी, जिसके लिए उनके नियंत्रण और देख–रेख में पुलिस बल रखे गए थे। जिला और परगना पुलिस मामलातदार के अधीन थी तथा उसका खर्च उस राज्य के राजस्व से वहन किया जाता था। परगना पुलिस के पास पैदल पुलिस और घुड़सवार पुलिस भी थी। यदि धनी व्यक्तियों और व्यापारियों को विशेष पुलिस सरंक्षण की आवश्यकता होती तो उसका खर्च उन से वसूल किया जाता था। ग्रामीण पुलिस का कार्य पाटिल या मुकद्दम को सौंपा गया था।

❖ आधुनिक भारत :

जब ईस्ट इंडिया कम्पनी ने मुगलों से प्रशासन का अधिपत्य अपने हाथों में लिया, तब साम्राज्य में कानून–व्यवस्था की स्थिति बहुत निम्न स्तर की थी। पुलिस, जो कि अपराधियों से मिली होती थी और लूटे हुए धन का एक हिस्सा मिलने के बदले में गुनहगारों को शह देती थी, विदेशी व्यवसायिकों (अंग्रेजो) की प्रवीणता को एक बहुत बड़ी चुनौती थी। आंतरिक सुरक्षा और उनके व्यापारिक संस्थानों के संरक्षण की समस्याओं ने उनका विशेष ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने भारत की पुलिस व्यवस्था के संगठन और कार्य में विकास के लिए क्रमिक, किन्तु खंडशः सुधार करने की व्यापक योजना बनाई। अंग्रजों के क्रमिक एवं खंडशः सुधारों की योजना में कम्पनी के अधीर क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन के विकास में निरंतरता एवं बदलाव की प्रक्रियाओं का समावेश था। उन्होंने ग्रामीण व्यवस्था को चालू रखा, किन्तु जमीदारों को उनके पुलिस कर्तव्यों की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया। कुछ समय में ही उन्होंने बड़े परिश्रम और प्रवीणता से देशी पुलिस व्यवस्था में ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करते हुए, आधुनिक पुलिस का अच्छा ढांचा तैयार कर लिया। वर्तमान पुलिस ने अपना सही रूप ब्रिटिश शासनकाल में लिया।

भारत में ब्रिटिश शासकों ने तत्कालीन आपराधिक न्याय व्यवस्था, पुलिस जिसका अभिन्न अंग थी, का विस्तार से पुनर्निरीक्षण किया। वॉरेन हेस्टिंग ने तत्कालीन आपराधिक कानून एवं आपराधिक न्याय की कुछ कमियों एवं विषमताओं को भापा। परन्तु उसने मुस्लिम आपराधिक न्याय व्यवस्था को जड़ से उखाड़ने की जोखिम नहीं लिया तथा एक व्यावहारिक रास्ते पर चलने की कोशिश की। जहाँ तक सम्भव हो, प्राचीन व्यवस्था को बनाए रखने, जहाँ अनिवार्य हो वहाँ पुर्नगठन करने, तथा जहाँ अपरिहार्य हो वहाँ सुधार करने की त्रिकोणीय प्रायोगिक योजना को अपनाया गया।

लार्ड कार्नवालिस प्रथम ब्रिटिश शासक था जिसने पुलिस व्यवस्था को सुधारने की कोशिश की। उसने सन् 1791 में कलकत्ता के लिए पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया तथा इसके बाद ग्रामीण भागों की ओर अपना ध्यान लगाया। उसका यह मानना था कि कम्पनी शासन तथा लोगों के हित एक–दूसरे से जुड़े हुए है, इसलिए लोगों के हितों की रक्षा करना तथा लोगों की खुशहाली सुनिश्चित करना सरकार के लिए स्थिरता और स्थायित्व के नजरिए से अति–आवश्यक है। उसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जमींदारों के हाथों से पुलिस के अधिकारों को छीन लिया तथा सन् 1793 में आदेश दिया कि जिला न्यायाधीश प्रत्येक चार सौ मील के लिए एक पुलिस स्टेशन खोलें तथा वहाँ एक नियमित पुलिस स्टेशन अधिकारी नियुक्त करें। वह अधिकारी दरोगा के नाम से जाना जाता था। कस्बों में पुलिस प्रभारी कोतवाल ही रहा।

लार्ड कार्नवालिस ने ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ तत्पूर्व जमींदार पुलिस अधिकारों का प्रयोग करते थे, वहाँ शासकीय शक्ति के प्रतिनिधि के रूप में दरोगा व्यवस्था लागू की। हालाँकि, इससे प्रचलित व्यवस्था अप्रभावी हो गई तथा नई व्यवस्था पर अत्याधिक जोर पड़ गया। इसके अपेक्षित परिणाम नहीं आए। अपराध बढ़ते गए और सामाजिक स्थिति और भी बिगड़ गई। पुलिस सुधार के लिए गर्वनर–जनरल–इन–कौंसिल ने 1817 के रेगुलेशन 20 के द्वारा दरोगा के अधिकारों एवं कर्तव्यों को परिभाषित किया। यह पुलिस के मार्गदर्शन के लिए बनाया गया प्रथम पुलिस मैनुअल माना जाता है।

दुःख की बात है कि लार्ड कार्नवालिस के पास न तो ब्रिटेन में और ना ही विदेश में पुलिस व्यवस्था के लिए कोई आदर्श था। यहाँ तक कि पाँच दशक बाद, यानि 1839 में, इंग्लैंड के पुलिस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इंग्लैंड पुलिस की एक उदासीन परिस्थिति को चित्रित किया। सर रॉबर्ट पील के सुधारों से पहले इंग्लैंड में

भी पुलिस प्रशासन लगभग उतनी ही आलोचना का पात्र था, जितना की भारत में। इस स्थिति का सामना करने के लिए, सर राबर्ट पील ने 1829 में विशेष सवैधानिक प्रक्रिया द्वारा लंदन में मैट्रोपोलिटन पुलिस फोर्स को लागू किया।

लार्ड कार्नवालिस ने 1792 में 'जमींदारी और थानेदारी' पद्धति को समाप्त कर एक समान पद्धति पहली बार लागू की थी तथा बंगाल में जिला मजिस्ट्रेट के अधीन एक पृथक पुलिस बल का गठन किया। जिले पुलिस स्टेशन क्षेत्रों में बाँट दिए गए और प्रत्येक पुलिस स्टेशन के लिए एक मोहरिर, एक जमादार और दस बरकंदाजो के कार्मिक बल सहित दरोगा की नियुक्ति की गई। बाद में तीन पुलिस सुधार समितियों ने इस योजना का विश्लेषण किया। इन सभी समितियों ने राय दी की ग्राम पुलिस को और अधिक अधिकार तथा जिम्मेदारियों दी जाए। जिला कलेक्टर को राजस्व कर्तव्यों के अतिरिक्त, पुलिस संगठन का प्रशासनिक प्रमुख बनाया गया। जिन क्षेत्रों के लिए पुलिस आयुक्त नियुक्त किए गए है, उन्हें छोड़कर अन्य भागों में भारत में यह व्यवस्था आज भी कायम है।

सन् 1808 में सरकार ने बंगाल में कलकत्ता, ढाका और मुर्शिदाबाद संभागों में एक नए प्रमुख, जिसे पुलिस अधीक्षक का पदनाम दिया गया, के माध्यम से पुलिस प्रशासन पर विशेष तथा प्रभावी नियंत्रण लागू किया। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य दशकों में कलकत्ता में पुलिस व्यवस्था को और अधिक युक्तियुक्त तथा संस्थागत बनाया गया। मिलीयम कीट्स ब्लेक्यूरेर, एक चमत्कारी शहर दण्डाधिकारी, ने जासूस या गोयंदास नेटवर्क की शुरूआत की। सन् 1845 में जे.एच. पैटन की अध्यक्षता में एक समिति ने लंदन मेट्रोपोलिटन पुलिस को आदर्श मानते हुए पुलिस संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव किए। पुलिस आयुक्त की नियुक्ति की गई, जिसे कानून–व्यवस्था को बनाए रखने, अपराधों को हल करने तथा अपराधियों को पकड़ने के लिए शांति न्यायाधीश के अधिकार दिए गए।

सांसारिक पटल पर युद्ध की विभिषिकाओं में सैनिक सक्षमताओं का अदम्य साहस, जोश, दूरदृष्टि, दृढ संकल्पता, कर्तव्य परायणता, कर्मठता एवं अनुशासन पालन इत्यादि गुणों के उत्तरदायित्व का निर्वाहन करते हुए राष्ट्र की अखण्डता एवं एकता को कायम करनें में स्वाभिमानपूर्वक बलिदान की वेदी पर प्राणों की बाजी स्वरूप वीरता का अद्‌भुत परिचय देते हुए राष्ट्र की गरिमा ही जिनके जीवन का आदर्श मूल्य है ऐसी प्रेरणा से परिपूर्ण सुरक्षा बलों के शारीरिक प्रशिक्षण का विशिष्ट योगदान होता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

१. संपूर्ण पुलिस भरती मार्गदर्शिका, सायस कराड, निकीता पब्लिकेशन, (2007) पृ. 278.
२. पुलिस मार्गदर्शिका, महाराष्ट्र पुलिस, पुलिस पाठ्यक्रम पुस्तिका, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, (1998) पृ. 302.
३. विमला प्रसाद, प्राचीन भारतीय विद्या मंदिरों में शारीरिक शिक्षा (व्यायाम विज्ञान, अमरावती वोलूम 13, नं. 4 नवम्बर 1980), पृ. 1.
४. प्रसाद, विमला प्राचीन भारतीय विद्या मंदिरों में शारीरिक शिक्षा (व्यायाम विज्ञान, अमरावती वोलूम 13, नं. 4 नवम्बर 1980).

Dr. Surendra Ramlal Tiwari
Professor, Jyotiba College of Physical Education CRPF. Hingna Road , Nagpur.